जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में चुनाव दूसरे चरण में 11 सितंबर को होंगे

प्रदेश के 309 निकायों में दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को होंगे पार्षदों के लिए मतदान, 14 को सामने आएंगे परिणाम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में लंबे समय से टल रहे नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल आखिरकार बुधवार शाम 4 बजे बज गया। प्रदेश के 309 निकायों में चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 9 सितंबर और 11 सितंबर को करवाए जाएंगे। खास बात यह है कि जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में चुनाव दूसरे चरण में होंगे। जबकि प्रथम चरण में जयपुर जिले के 540 वार्डों को पहले चरण में रखा गया है। इनमें चाकसू, बगरू, बस्सी, दूदू, फागी, सांभर, फुलेरा, चौमूं सहित कई नगर निकाय शामिल हैं। दोनों चरणों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न होंगे। इसके बाद 14 सितंबर को मतगणना तथा परिणामों की घोषणा होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह ने बुधवार शाम को सचिवालय में प्रैस कॉफ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। सरकार की ओर से घोषित 'एक प्रदेश-एक चुनाव' की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि निर्वाचित बोर्ड बनने के बाद 21 सितंबर को निकाय प्रमुखों का चुनाव कराया जाएगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष, उपसभापति और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इसी दिन नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं की साधारण सभा की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह

उन्होंने बताया कि सदस्य पदों के चुनाव के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित होंगे। मतदान 14 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना चरणवार 9 और 11 सितंबर को होगी।

नगर निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी। 16 सितंबर तक नामांकन, 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उपाध्यक्ष पद का चुनाव 22 सितंबर को होगा।

- निकाय प्रमुखों के लिए 21 सितंबर को तथा उपाध्यक्षों का चुनाव 22 सितंबर को होगा

309 निकायों के 10245 वार्डों में होगा मुकाबला

प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में कुल 10,245 वार्ड हैं। इनमें 1933 वार्ड ओबीसी, 1794 एससी और 395 वार्ड एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 6123 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इनमें 4,120 वार्ड अनारक्षित खुले वर्ग के और 2,003 वार्ड अनारक्षित महिला वर्ग के हैं। महिलाओं की भागीदारी भी चुनाव में खास रहने वाली है। आरक्षण व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणियों में 33 प्रतिशत वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके चलते प्रदेश के निकायों में 3356 महिला पार्षदों के चुने जाने का रास्ता साफ हुआ है।

121 निकाय प्रमुख पद आरक्षित

निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण में भी अलग-अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। 60 निकाय प्रमुख पद ओबीसी, 50 एससी और 11 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष पद अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित हैं।

1.15 लाख कर्मचारी और 99 हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा

चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए बडे स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में करीब 1.15 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98,709 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम के बाद निर्धारित समय सीमा में अपने चुनाव खर्च का विवरण भी देना होगा और 15 दिन के भीतर खर्च का हिसाब प्रस्तुत करना होगा।

चुनाव संपन्न होने तक तबादलों पर रोक

आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निकाय क्षेत्रों में कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे। हालांकि चुनाव घोषणा से पहले शुरू हो चुके विकास कार्यों को आचार संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर चर्चा

प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक

प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य सचिवों के साथ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति एवं नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। बैठक में प्रदूषण के प्रमुख कारणों, औद्योगिक प्रदूषण, सड़क धूल, पराली-बायोमास जलाने की रोकथाम, पौधारोपण और वायु गुणवत्ता निगरानी पर चर्चा हुई।

तरुण कपूर ने मानसून के बाद सड़क धूल की सफाई के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक "विशेष क्लीनिंग ड्राइव" चलाने तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास की सड़कों की उपचारित जल से धुलाई के निर्देश दिए।

उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और निर्धारित समय सीमा में सभी ईंधन स्टेशनों पर वीएएचएएन से एकीकृत एएनपीआर कैमरों का संचालन व प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि 'परिवर्तन' कार्यक्रम के तहत एनसीआर क्षेत्र में 5268 पुराने एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बढ़ाया जा रहा है तथा सड़क धूल नियंत्रण के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग सहित अन्य उपाय लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, निर्माण स्थलों की निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण तथा पराली और बायोमास जलाने की रोकथाम पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत व्यापक पौधारोपण भी किया जा रहा है।

चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 : विभाग और जिला आवंटन के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि, चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन निर्धारित नियमों और "मैरिट" के अनुरूप नहीं किया गया

जयपुर (कासं)। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में विभाग एवं जिला आवंटन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा एवं अरविंद कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन निर्धारित नियमों और "मैरिट" के अनुरूप नहीं किया गया। इसके चलते जिला आवंटन भी मेरिट-कम-प्रेफरेंस के आधार पर नहीं हो पा रहा है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार भर्ती विज्ञापन में विभाग एवं जिले का आवंटन मेरिट-कम-प्रेफरेंस के आधार पर किए जाने का प्रावधान था। वहीं, अधीनस्थ विभागों में विभाग आवंटन कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइज्ड प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं।

- हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित विभाग एवं सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि निर्धारित नियमों को लागू करने का उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है?

याचिका में दावा किया गया है कि कई मामलों में एक ही विभाग में लगातार बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया। साथ ही ऐसे विभाग भी आवंटित हुए, जो केवल किसी एक जिले तक सीमित हैं। इससे अभ्यर्थियों के मेरिट एवं पसंद के आधार पर जिला चयन के अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने अधीनस्थ विभाग को अपनी पहली प्राथमिकता दी थी, क्योंकि राजस्थान सचिवालय जयपुर और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर तक सीमित हैं। इसके बावजूद कम मेरिट वाले कुछ अभ्यर्थियों को उनकी अपेक्षाकृत पसंदीदा विभागों में आवंटन मिलने का दावा किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 8 जुलाई 2026 को जारी विभाग एवं नियुक्ति प्राधिकारी आवंटन सूची में याचिकाकर्ताओं को मेरिट की अनदेखी करते हुए विभाग आवंटित किए गए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही विभाग एवं जिला आवंटन की प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है।

हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित विभाग एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि निर्धारित नियमों को लागू करने का उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है।

दहेज हत्या के अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

जयपुर। महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताडित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले अभियुक्त पति अमरचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 साल के इस अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी रितु चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जांगिड ने अदालत को बताया कि शादी के 15 माह में ही दहेज हत्या होना गंभीर अपराध है। ऐसे में अभियुक्त को कठोर सजा से दण्डित किया जाए, ताकि लोग ऐसे अपराधों से बाज आए। प्रकरण के अनुसार मृतका पूजा के पिता गिरधारी लाल ने 14 फरवरी, 2022 को चौमू थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया कि उसने 27 नवंबर, 2020 को 2 बेटियों की शादी अभियुक्त अमरचंद व उसके भाई रजनीकांत के साथ की थी।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना में ईएमडी वापसी के नियमों में संशोधन

"ईज ऑफ डूइंग" बिजनेस के तहत रीको प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

जयपुर (कासं)। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को कम लागत पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 प्रारंभ की गई है। निवेशकों एवं उद्यिमयों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए रीको द्वारा योजना के नियमों का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में योजना के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदकों को आवेदन वापस लेने तथा ईएमडी राशि की वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के वर्तमान नियमों के तहत औद्योगिक भूखंड के लिए आवेदन करते समय आवेदक को भूखंड के कुल देय प्रीमियम की 5 प्रतिशत राशि ईएमडी के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होती है। आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात सफल आवेदक को लेटर ऑफ ऑफर जारी किया जाता है तथा उसे 30 दिवस के भीतर निर्धारित राशि एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर ईएमडी राशि जब्त किए जाने तथा आवंटन का ऑफर लेटर स्वत: निरस्त होने का प्रावधान था।

नवीन प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि तक अपना आवेदन वापस लेने तथा जमा की गई ईएमडी राशि लौटाने का अनुरोध करता है, तो उसकी ईएमडी राशि बिना किसी कटौती के वापस की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत कुछ मामलों में आवेदन में गलत जानकारी दर्ज होने अथवा प्रस्तुत एमओयू एवं आवश्यक दस्तावेजों में असमानता पाए जाने जैसी परिस्थितियां सामने आई हैं। ऐसे मामलों में यदि आवेदक लॉटरी प्रक्रिया में सफल घोषित हो जाता है, तो प्रस्तावित संशोधन के अनुसार भूखंड के प्रीमियम की 0.5 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष ईएमडी राशि आवेदक को वापस करने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में ईएमडी वापस करने का कोई प्रावधान योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं था।

रीको प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों एवं उद्यिमयों के लिए अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जाते रहे हैं। वर्तमान में योजना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक है।

राज्य सरकार के साथ निर्धारित अवधि में एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशक, निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। नवीन संशोधनों का उद्देश्य भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुगमता बढ़ाने के साथ-साथ निवेशकों के हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है। सभी प्रावधान प्रत्यक्ष आवंटन योजना के लागू होने की तिथि से प्रभावी होंगे। वर्तमान में योजना का 13 वां चरण चल रहा है जिसकी आवेदन एवं ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 25 अगस्त रखी गई है।

जेडीए के विधि निदेशक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर अंतरिम रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए में विधि निदेशक को राहत देते हुए उनके खिलाफ गत 30 जुलाई को जारी दो आरोप पत्र के आधार पर होने वाली विभागीय कार्रवाई की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में विधि सचिव और जेडीए आयुक्त से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार आर्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता जेडीए में विधि निदेशक के तौर पर पदस्थापित है। याचिकाकर्ता को दिया आरोप पत्र गौरव गुप्ता के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से की गई कार्रवाई से संबंधित है।

इस मामले में एक व्यक्ति गौरव गुप्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। वहीं यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को दिया दूसरा आरोप पत्र एक अवमानना प्रकरण से जुडा है। यह मामला भी हाईकोर्ट की खंडपीठ में विचाराधीन है और एकलपीठ के आदेश पर रोक लग चुकी है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जेडीए में पदस्थापित है और विधि विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता है। इसलिए प्रमुख विधि सचिव के पास यह चार्जशीट जारी करने का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार ही नहीं था। इसके अलावा जेडीए एक्ट 1982 की धारा 78 के तहत नियमानुसार किए गए कामों के लिए अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में जो भी कार्रवाई करनी थी, वह जेडीए कमिश्नर ही कर सकते हैं। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी चार्जशीट के तहत होने वाली विभागीय कार्रवाई रोकी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

100 व्यक्तियों को मिलेगा मंच

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने राज्य के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के लिए '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' पहल शुरू की है। इसके तहत 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों सहित 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों का चयन किया जाएगा।

सरकारी कैंसर इंजेक्शन की कथित अवैध बिक्री की जांच के आदेश

जयपुर। बीकानेर के सरकारी कैंसर अस्पताल के लिए भेजे गए महंगे कैंसर इंजेक्शन के दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले ने चिकित्सा विभाग में हलचल बढ़ा दी है।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी या अनधिकृत बिक्री किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) और संबंधित अधिकारियों को दवा की पूरी आपूर्ति शृंखला की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत दवा की आपूर्ति से लेकर स्टॉक रजिस्टर, मांग-पत्र, भेजे जाने का रिकॉर्ड और अस्पताल स्तर पर वितरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी अस्पताल के लिए भेजी गई दवा आखिर दिल्ली तक कैसे पहुंची और कथित बिक्री में किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं। मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि यदि जांच के दौरान सरकारी दवा की आपूर्ति में किसी भी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

"कार-टी सेल" थैरेपी आरजीएचएस में शामिल

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में कार-टी सेल थेरेपी को अनुमत पैकेज में शामिल किया है। इससे गंभीर रक्त कैंसर से जूझ रहे पात्र सरकारी कर्मचारियों, उनके आश्रित परिवारजनों और पेंशनर्स को अत्याधुनिक उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

"कार-टी सेल" थैरेपी के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए तक का पैकेज स्वीकृत किया गया है। इसमें 26 लाख रुपए कार-टी सेल के निर्माण तथा 4 लाख रुपए सपोर्टिव केयर और संभावित जटिलताओं के प्रबंधन के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह थेरेपी कुछ गंभीर प्रकार के ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसे रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी है। मरीज की पात्रता विशेषज्ञ चिकित्सकों या विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। उपचार से पहले आवश्यक जांच, विशेषज्ञों की अनुशंसा और पूर्व-अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही उपचार अधिकृत केंद्रों पर विशेषज्ञों की निगरानी और आवश्यक आईसीयू सुविधाओं के साथ किया जाएगा।

- कैंसर मरीजों को 30 लाख तक का पैकेज

सरकार ने आरजीएचएस में कैंसर की महंगी दवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी है। इससे प्रदेश के बाहर या दूर-दराज के मरीजों को मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के लिए जयपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी।

वीडियो कॉल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होने से मरीजों और उनके परिजनों का समय व खर्च बच सकेगा।

'शिक्षा विभाग में 48 हजार से अधिक नियुक्तियां'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। शिक्षा विभाग में अब तक 48,465 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 59,587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सरकार का उद्देश्य है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके लिए रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत विषय विशेषज्ञों और अनुभवी व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में लगाया जाएगा। जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में अधिकृत किया गया है। सरकार के अनुसार वर्तमान सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में स्कूलों की मरम्मत, नए भवन और कक्षा-कक्ष निर्माण सहित आधारभूत सुविधाओं पर 2,723 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल में इन कार्यों पर 2,227 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

वस्त्र इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण के साथ पर्यावरणीय दायित्व निभाएं : अपर्णा अरोरा

'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जल शोधन तथा शोधित जल के पुन: उपयोग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत'

जयपुर (कासं)। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्षा अपर्णा अरोरा ने कहा कि राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध ब्लॉक प्रिंटिंग, हस्तशिल्प एवं वस्त्र प्रसंस्करण परंपरा को "सर्कुलर इकोनॉमी" और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़कर टिकाऊ औद्योगिक विकास का आधार बनाना होगा। वस्त्र इकाइयों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी), जल शोधन, शोधित जल के पुन: उपयोग और स्लज के वैज्ञानिक निस्तारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 'सर्कुलैरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि सांगानेर, बगरू, बालोतरा, पाली और बाड़मेर जैसे वस्त्र केंद्रों की वैश्विक पहचान को बनाए रखते हुए नदियों में प्रदूषित पानी जाने से रोकना जरूरी है। कम पानी वाली तकनीकों, अपशिष्ट जल के शोधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने बालोतरा के शोधित पानी से राजस्थान रिफाइनरी के आसपास विकसित होने वाले पेट्रो जोन की जल जरूरत पूरी करने और ट्रीटमेंट प्लांट की स्लज के सीमेंट व ब्लॉक निर्माण में उपयोग की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्षा अपर्णा अरोरा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 'सर्कुलैरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी की उपलब्धता सीमित है, इसलिए वस्त्र उद्योग को जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता देनी होगी। लीगेसी टेक्सटाइल क्लस्टर्स को आधुनिक अपशिष्ट जल शोधन, संसाधन दक्ष तकनीकों और जल पुनर्चक्रण आधारित ढांचे से मजबूत करना समय की जरूरत है।

मंडल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। मंडल उद्योगों को जेडएलडी, जल पुनर्चक्रण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन अपनाने के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता संवर्धन देगा। तकनीकी सत्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), मुंबई के डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किफायती जेडएलडी मॉडल प्रस्तुत किया और 4आर-रिड्यूस, रीप्रोसेस, रीयूज और रिसोर्स रिकवरी-पर आधारित औद्योगिक विकास पर जोर दिया।

विशेषज्ञों ने गुजरात, भीलवाड़ा और राजस्थान के वस्त्र क्लस्टर्स में अपशिष्ट जल उपचार, जल पुन: उपयोग, सर्कुलैरिटी और अनुपालन की सर्वोत्तम प्रक्रियाएं साझा कीं। कार्यशाला में वस्त्र उद्योग प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने जल संरक्षण, संसाधन पुनर्प्राप्ति और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पर विचार-विमर्श किया।